

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)

## अधिघोषणा

सं0..... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर

दिनांक.....

वूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-कड़ाचीन चादर नं0-1, परगना-पड़री, थाना-रोसड़ा, थाना नं0-357, जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हायाघाट कराचीन के 42वें कि0 मी0 से 75वें कि0 मी0 तक समस्तीपुर जिला अन्तर्गत बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम कड़ाचीन चादर नं0-1 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 6.44 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 221, 230, 231, 232, 233, 281, 284, 285, 287, 328, 329, 330, 331, 365, 366, 367, 376, 377, 229, 8, 9, 26, 25, 378, 381, 382, 448, 449, 450, 458, 457, 456, 455, 85, 83, 69, 68, 62, 60, 733, 734, 732, 731, 626, 624, 620, 619, 618, 542, 541, 536, 535, 519, 517, 516, 515, 514, एवं पूर्ण खेसरा सं0 220, 282, 283, 379, 630, 625 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- मौजे भिखनौलिया अंश खेसरा सं0 60, 62, 68, 69, 83, 84/3201, 85, 455, 456, 457, 458, 450, 449, 448, 382, 381, 380, 378, 377, 376, 367, 366, 365, 331, 330, 329, 328, 287, 285, 284, 281, 233, 232, 231, 230, 221 एवं पूर्ण खेसरा सं0 219 है।

पूरब:- मिलान कड़ाचीन चादर नं0 2।

दक्षिण:- तटबंध वो अंश खेसरा सं0 514, 515, 516, 517, 519, 535, 536, 541, 542, 618, 619, 620, 624, 626, 731, 732, 733, 734 एवं पूर्ण खेसरा सं0 631, 730 है।

पश्चिम :- सीमान मोरौल वो मालसर।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
समस्तीपुर।

अपर समाहर्ता,  
समस्तीपुर।

समाहर्ता  
समस्तीपुर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

पी0टी0ओ0

शापांक ...../डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना दिनांक.....

- प्रतिलिपि: (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतारन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।
- (2) समाहर्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।
- (4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/किशनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:- यथोक्ता।

सा  
25/4/13  
सरकार के अवर सचिव